

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
राजकली रमाशंकर शुक्ल महाविद्यालय
मोठिन, जलेसरगंज
प्रतापगढ़।

पत्रांक— शि०सा०/बी०टी०सी०/अनु०-२८० / ६०३४-३७ / २०१५-१६

दिनांक: ०१ मार्च, २०१६

विषय— निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत "चयनित संकाय सदस्यों" के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रहित दिनांक २९.०२.२०१६ के संदर्भ में एन०सी०टी०ई० नियमावली २०१४ के अनुसार प्रबन्धक के शपथ पत्र के प्रति निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत चयनित सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| १. अब्दुल हमीद | विभागाध्यक्ष |
| २. श्रीमती अर्चना | प्रवक्ता शिक्षा का आधार |
| ३. श्री शिव बच्चन सिंह यादव | प्रवक्ता भाषा |
| ४. लुबना परवीन | प्रवक्ता विज्ञान |
| ५. श्रीमती मन्जू | प्रवक्ता सा० विज्ञान |
| ६. श्री रवि प्रकाश यादव | प्रवक्ता गणित |
| ७. रिकू वर्मा | प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा |
| ८. सुश्री अनीता शुक्ला | प्रवक्ता ललित कला |
| ९. श्री श्याम कुमार त्रिपाठी | पुस्तकालयाध्यक्ष |
| १०. श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी | कार्यालय अधीक्षक |
| ११. श्री पंकज मिश्र | कम्प्यूटर ऑपरेटर |

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर, सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ०सा० शि०सा०/बी०टी०सी०/अनु०-२८० /

/२०१५-१६ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
२. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-३०२००५ (राजस्थान)।
३. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, अतरसंड, प्रतापगढ़।

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
सी.पी.आई. छात्रावास भवन परिसर, एम.जी.मार्ग, इलाहाबाद-२११००१

संदर्भ सं.: ए.एस.यू.ए./सम्ब/541/02/2017

दिनांक: 25/02/2017

सेवा में,

गोपनीय

प्रबन्धक/सचिव
राजकली रमाशंकर शुक्ल महाविद्यालय,
कृष्णा नगर, मोठिन, जलैसरगंज,
प्रतापगढ़, उ.प्र.

विषय: स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक:15.12.2016 तथा चयन समिति/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2443/सत्तर/सत्तर-2-2000-2(85)/97 के प्राविधानानुसार मा० कुलपति जी ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन का अनुमोदन उनके नामों के सम्मुख अंकित विषयों में सहायक आचार्य के पद पर प्रदान करने की कृपा की है।

| क्र. सं. | नाम | पिता का नाम | पदनाम/विषय |
|----------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | डॉ० अनिल कुमार | श्री जय गोविन्द मिश्र | शिक्षा संकाय-विभागाध्यक्ष |
| 2 | श्री गुरु आशीष | श्री बृजेश कुमार | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 3 | श्री अजय कुमार राय | श्री चन्द्रभान राय | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 4 | श्री सौम्या मिश्रा | श्री रिशीष नारायण मिश्रा | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 5 | पूजा सिंह | स्व० बृज मोहन सिंह | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 6 | श्री कोमल मौर्या | श्री नरेन्द्र देव मौर्या | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 7 | श्री दया शंकर वर्मा | श्री देवी पलट वर्मा | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 8 | श्री राम कृष्ण पाण्डेय | श्री बेंकट रमण पाण्डेय | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 9 | श्री अनुपम सिंह | श्री ओम प्रकाश सिंह | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |
| 10 | श्री सर्वेश कुमार त्रिपाठी | श्री द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी | सहा. आचार्य-शिक्षा संकाय |

उक्त अनुमोदन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं नेट/स्लेट अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगा। सहा. आचार्य अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं शिक्षक का होगा।